



2022/14

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत श्री मिट्ठनलाल आर्यप्रेमी पुत्र श्री भगवान राव जाति आर्य प्रेमी निवासी मनन क्लिनिक पिण्डवाडा जिला सिरौही।  
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

बनाम सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

मुकदमा नं. 07-वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 615-616 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था, लेकिन तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 615-616 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। यह है कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अपीलांत को उक्त सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी रिथिति में अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

